सेवा में,

मान्नीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय

केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली / राज्य सूचना आयोग, लखनऊ

नं0 अपील सन् जिला–ललितपुर

वीरेश कुमार चौबे एडवोकेट, निवासी–सिविल लाइन, ललितपुर –अपीलान्ट

बनाम

1. माननीय श्री ए0के0 गनेश, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी / अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर (उ0प्र0)

2. माननीय श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह, अपील अधिकारी / जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर उ0प्र0 –रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

श्रीमान् जी,

सेवा में, सद्भाव पूर्वक, निवेदन है कि प्रार्थी अपीलान्ट ने मान्नीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी / अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर से सूचना मांगने के लिए लिखित आवेदन दिनांक 7.02.08 किया था तथा साथ में 500 / – रूपये निर्धारित सूचना शुल्क जमा करना चाहता था, किन्तु आवेदन के साथ प्रार्थी से शुल्क नहीं लिया गया तथा कार्यालय में आवेदन लेने से इन्कार कर दिया गया। जब माननीय केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी / सी0जे0एम0, ललितपुर ने Forward लिखा, तब माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय ने आदेश किया एवं प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने दिनांक 08.02.08 को रिसीव किया, किन्तु फीस जमा करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि जब साहब आदेश करेंगे, तब फीस जमा करेंगे। उन्होंने केवल स्पष्टीकरण मांगा है। मैं जब स्पष्टीकरण दूंगा, तब फीस जमा की जायेगी।

दिनांक 14–02–08 को माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय के आदेश के पश्चात् प्रार्थी अपीलान्ट ने 500 / – रूपये फीस दाखिल की, किन्तु प्रार्थी को कोई रसीद नहीं दी गई और बताया गया कि कार्यालय में कोई रसीद बुक नहीं है तब प्रार्थी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने 500 / – रूपये का नोट प्राप्ति की इबारत लिखी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के ढाई वर्ष से ऊपर गुजरने एवं मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा न्याय सेक्सन 1 (उच्च न्यायालय) नोटिफिकेशन नं0 3530 / सेविन–न्याय–1–2006, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 द्वारा नियम बनाये जाने के बावजूद माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी ललितपुर ने फीस जमा करने की प्रक्रिया को अन्जाम नहीं दिया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मान्नीय उच्च न्यायालय के माननीय अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर टैक्निकल ग्राउण्ड पर सूचना आवेदन निरस्त करने का तरीका अपनाया है कि आवेदन के साथ फीस जमा न की जाये और इसी आधार पर आवेदन निरस्त कर दिया जावे।

माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय ने प्रार्थी के सूचना आवेदन पर स्वयं का विवेक इस्तेमाल करने के स्थान पर दिनांक 16–02–2008 को माननीय केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। जिन्होंने 22–02–2008 को रिपोर्ट दी कि मांगी गई सूचना को मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से मांगा जाना चाहिए था तथा मांगी गई सूचना / निर्देश गोपनीय है तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट (राइट टू इनफोर्मेशन) रूल्स 2006 के नियम 12 से बाधित हैं, नियम 26 से बाधित है तथा नियम 20 से बाधित है। क्योंकि आवेदनकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसमें कौन सा जनहित निहित है, इसलिये धारा 8 सूचना का अधिकार अधिनियम

2005 से बाधित है तथा माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय ने माननीय केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी की रिपोर्ट को पुष्ट कर दिया, किन्तु उन्होंने प्रार्थी अपीलान्ट के सूचना आवेदन को निरस्त करने के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया और न ही प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन को ट्रांसफर कर मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद भेजा और न ही प्रार्थी अपीलान्ट को वांछित सूचना दी।

उपरोक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने पर प्रार्थी अपीलान्ट ने प्रथम अपील माननीय अपील अधिकारी/जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललितपुर के यहां समयबद्ध अपील प्रस्तुत की।

मान्नीय अपील अधिकारी/जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, ललितपुर ने अपने आदेश दिनांक– 06–05–2008 द्वारा अपील इस आधार पर खारिज कर दी गई कि प्रार्थी ने आवेदन के साथ फीस जमा नहीं की व प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा कम्पाउण्ड क्वेश्चन (Compound question) किया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट (राइट टू इनफोरमेशन) रूल्स 2006 के नियम 3 व 4 का उल्लंघन करते हुए प्रार्थनापत्र दिया है और उक्त प्राविधान Mandatory है इसलिए माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी ने बिना फीस के सूचना आवेदन लेकर गैरकानूनी व अनियमित कार्य किया है। इसलिए अपीलान्ट के सूचना आवेदन पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

इस कारण अपीलान्ट आवेदक निम्नलिखित आधारों पर यह दूसरी अपील श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

आधार अपील

1. यह कि माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, ललितपुर ने आवेदक से जानबूझकर आवेदन के साथ फीस नहीं ली। क्योंकि माननीय सक्षम प्राधिकारी/माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फीस जमा करने का हैड अभी तक नहीं बनाया प्रतीत होता है जो अधिनियम का Mandatory प्राविधान है।

2. यह कि माननीय सक्षम/लोक प्राधिकारी ने पारदर्शिता बनाये रखने एवं प्रशासनिक कार्यों को उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के Mandatory प्राविधानों में से अनेक का अभी तक पालन सुनिश्चित नहीं कराया है।

3. यह कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (राइट टू इन्फोर्मेशन) रूल्स 2006 की नियम 10 के अनुसार आवेदक को सूचना देने में आवश्यक सहायता के स्थान पर माननीय अपील अधिकारी सूचना लेना दुरूह बना रहे प्रतीत होते हैं।

4. यह कि माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए.के. गनेश सीनियर मोस्ट अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललितपुर नहीं हैं। फिर भी उनको माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी बनाया गया है, इसी प्रकार माननीय केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी भी वर्तमान में माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन नहीं हैं जो न्याय सेक्शन 1 (उच्च न्यायालय) नोटिफिकेशन नं. 3531/सेविन–न्याय–1–2006 दिनांक 20 सितम्बर 2006 के निर्देशों का उल्लंघन है।

5. यह कि माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय ने जब प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन को मय फीस स्वीकार कर मैरिट पर निर्णीत किया तब प्रार्थी द्वारा की गयी अपील पर आवेदन को गैरकानूनी ठहराने का श्रीमान अपील अधिकारी/जिला एवं सत्र न्यायाधीश का आदेश प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध एवं सूचना आवेदनकर्ता को हतोत्साहित करने वाला हैं।

6. यह कि मांगी गयी सूचना कतई कम्पाउण्ड नहीं है और एक ही सूचना है। अपीलान्ट आवेदक ने एक शिकायत दिनांक 12.09.06 को सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को भेजी थी, दिनांक 28.08.05 के पत्र उसी का आवश्यक अंश व अंग हैं। उन पर माननीय उच्च

न्यायालय/माननीय प्रशासनिक जज महोदय के दिशानिर्देशों की सम्पूर्ण जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित सूचना मांगी थी जो एक Particular item की परिभाषा में आता है एक्ट की मंशा सूचना को सहज बनाना है जबकि, माननीय अपील अधिकारी/जिला जज महोदय का आदेश सूचनाकर्ता को परेशान करने एवं सूचना को दुरूह बनाने का प्रतीत होता है।

7. यह कि नियम 12 इलाहाबाद हाइकोर्ट (राइट टू इनफार्मेशन) रूल्स 2006 के प्राविधानों का अनुपालन भी माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी ने नहीं किया है क्योंकि उक्त नियम के अनुसार यदि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र किसी अन्य पब्लिक अथोर्टी से संबंधित है तो उन्हें इस आवेदन को उक्त पब्लिक अथोर्टी के पास ट्रांसफर कर भेज देना चाहिए। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

8. यह कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट (राइट टू इन्फार्मेशन) रूल्स 2006 के नियम 26 के विरूद्ध भी नहीं है क्योंकि अपीलान्ट प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के किसी भी लम्बित वाद के बारे में कोई सूचना नहीं चाही है, बल्कि कार्यप्रणाली के प्रति की गयी शिकायतों पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की सूचना चाही है।

9. यह कि माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी का यह मत कि प्रार्थनापत्र दिनांक 07.02.08 जिसके माध्यम से प्रश्नगत सूचना मांगी गयी थी नियम 20 इलाहाबाद हाईकोर्ट (राइट टू इन्फार्मेशन) रूल्स 2006 से बाधित है, विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (2) का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन प्रतीत होता है।

10. यह कि मांगी गयी सूचना न्याय को पारदर्शी बनाने में विधिसंवद्ध एवं व्यापक जनहित में होने के कारण किसी भी अवस्था में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार सूचना प्रकटिकरण से संरक्षित नहीं हैं बल्कि उपरोक्त निर्देश, दोषपूर्ण कार्य प्रणाली से न्याय की गरिमा को पहुंच रही चोटों का इलाज करने वाले साबित हो सकते हैं।

11. यह कि दोषपूर्ण कार्यप्रणाली को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गये निर्देशों की जानकारी व्यापक रूप से लोकहित में है क्योंकि उन निर्देशों की जानकारी से ही आमजन को यह आशा बंधेगी की माननीय उच्च न्यायालय, अधिकारियों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली को रोकने के लिए समुचित कदम उठा रहा है और दोषपूर्ण कार्यप्रणाली की जांच खुले और पारदर्शी रूप में की जा रही है एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं।

12. यह कि सूचना, धारा 8, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से बाधित नहीं है क्योंकि किसी भी शिकायत की जांच के लिए दिये गये निर्देश एक पारदर्शी प्रक्रिया है धारा 8 (2) में स्पष्ट किया गया है कि गुप्त बात अधि0 1923 या धारा 8 (1) में से किसी बात के होते हुए भी सूचना के प्रकटन में लोकहित, संरक्षित लोकहितों के नुकसान से अधिक है।

मांगी गयी सूचना, न्याय विभाग में गोपनीयता की आड़ में कतिपय अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी, विभागीय जांच की सूचना से उजागर होती है और उससे न्याय प्रक्रिया को मनमाने एवं भ्रष्ट आचरण से छूटने का रास्ता दिखा सकती है जो विस्तृत लोक हित में आवश्यक है।

इन सब बातों का सूचना आवेदन में लिखा जाना Mandatory नहीं है यह सूचना प्रार्थना पर विचार करते समय की जाने वाली मानसिक कसरत है। जिसका प्रयोग माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी को करना है। या वह सूचना आवेदक से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांग सकता है।

13. यह कि अपीलांट प्रार्थी का सूचना आवेदन विधिसम्मत एवं नियमित रूप से दिया गया है और वांछित शुल्क काफी मसक्कत के बाद जमा किया जा सका है। इसलिए शुल्क सहित माना जाना प्राकृतिक न्याय व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मंशा व सूचना सहायता प्रावधानों

के अनुकूल है और तदनुसार वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाना आवश्यक है।

14. यह कि जब कानून की परिभाषा व उसकी मंशा के अनुरूप उसे लागू कराने वाले माननीय न्यायिक अधिकारीगण ही Mechanical way में सूचना देने में बहानेबाजी करने लगेंगे तो इस कानून को बनाने एवं लागू रखने के लिए भारत का नागरिक कहां रोयेगा।

अतः श्रीमानजी से विनय है कि उपरोक्त व अन्य कारणों से प्रार्थी अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललितपुर का आदेश दिनांक 14.03.08 एवं माननीय अपील अधिकारी/जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललितपुर का आदेश दिनांक 6.05.08 सादर निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थी को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये जावें। एवं यांत्रिक रूप से प्रार्थी के आवेदन को निरस्त करने के लिए सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए जरूरी आदेश पारित करने की कृपा की जावे एवं प्रार्थी अपीलान्ट को अन्य न्यायोचित प्रतिकार दिलाये जावें।

दिनांक 03-06-08

प्रार्थी

वीरेश कुमार चौबे, एडवोकेट
सिविल लाइन, ललितपुर

सत्यापन

मैं, वीरेश कुमार चौबे, अपीलान्ट इस अपील के समस्त मजमून को अपने निजी ज्ञान से सत्यापित करता हूं कि सब सच व सही है यह सत्यापन आज दिनांक 03-06-08 को स्थान ललितपुर में किया गया। ईश्वर मेरी मदद करे।

वीरेश कुमार चौबे, एडवोकेट

संलग्नक–

1. माननीय अपील अधिकारी/जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ललितपुर का आदेश दिनांक 06.05.2008 की प्रति स्वयं प्रमाणित।
2. प्रथम अपील दिनांक 05.04.2008 की प्रति स्वयं प्रमाणित।
3. माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ललितपुर का आदेश दिनांक 14.03.2008 की प्रति स्वयं प्रमाणित।
4. सूचना आवेदन दिनांक 07.02.2008 की प्रति स्वयं प्रमाणित।
5. प्रार्थनापत्र दिनांक 14.02.2008/15.02.2008 की प्रति स्वयं प्रमाणित।

वीरेश कुमार चौबे, एडवोकेट

नोट– माननीय अपील अधिकारी/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर ने प्रार्थी को द्वितीय अपील कहाँ करना है, नहीं बताया है और न ही इलाहाबाद हाईकोर्ट (राइट टू इनफोर्मेशन) रूल्स 2006 में भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा गया है। इस कारण आवेदक अपीलार्थी, सद्भावपूर्वक, माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली एवं माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ दोनों जगह द्वितीय अपील भेज रहा है कि जहाँ क्षेत्राधिकार हो वह गृहण कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

वीरेश कुमार चौबे, एडवोकेट

BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY/DISTRICT JUDGE, LALITPUR.

Present : Sri Virendra Vikram Singh, HJS.

Right to Information Appeal No. 1 of 2008.

Viresh Kumar Chaubey, Advocate,
Resident of Civil Lines, Lalitpur. .... Appellant.

Central Public Information Officer/Addl. District
and Sessions Judge, Lalitpur .... Respondent.

JUDGMENT.

Against the order of Sri A.K. Ganesh, Central Public Information Officer, District Court, Lalitpur (hereinafter to be referred as 'the officer') dated 14.3.08, the present appeal has been filed. By the impugned order, the learned Officer has refused to furnish the information to the appellant in pursuance to his request for furnishing information dated 7.2.2008.

The brief facts are that on 7.2.2008, the appellant moved an application under the provisions of the Allahabad High Court (Right to information Rules), 2006 for the following information :-

'संलग्न प्रार्थना पत्रों दिनांक 12–9–2006 एवं दिनांक 28–8–05 के सन्दर्भ में आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय/माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों की सम्पूर्ण जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित देने की कृपा करें ।'

At this juncture, it is proper to mention here that along with this application, no fees in cash or by bank draft was accompanied. However, there is a mention in the application that the applicant is ready to deposit Rs.500/- as cash. It appears that a report was called from the S.A.O., Lalitpur and after obtaining this report, an order was made on 14.2.08 that the applicant to deposit Rs. 500/- in two days. The amount was deposited by the appellant in cash while annexing five hundred rupee note no. 4DT 213017. This money was deposited with the Cashier. It appears that the learned Officer in place of examining the merits of the application, adhered to the short route. He called for a report of the Assistant Information Officer, who submitted his report on 22.2.08. By passing the impugned order, the officer has approved the report of the Assistant Information Officer, who has reported that such information cannot be furnished as the same is barred by the provisions of Sec. 8 Right to Information Act, 2005 and nowhere the applicant has mentioned that the information is required in public interest.

Heard the appellant in person at length. It has been argued on behalf of the appellant that the order to deposit the money was passed on 14.2.08

छाया प्रति प्रमाणित
2008
प्रशासनिक अधिकारी
लिपिक जजी
ललितपुर

but the learned Officer has wrongly mentioned the date as 8.2.2008. He has also cited that the number of the note has also been wrongly mentioned in the impugned order. Along with the application for seeking information, three letters were enclosed, about which the reply was sought for but in the impugned order, the number of applications mentioned are only two. The order is illegal as in the application, there is no specific mention that the application is being rejected.

Apart from the factual arguments quoted above, it has also been argued that if the informations were barred to be communicated at the level of the District Judiciary ,in view of the provisions of Rule 12 of the High Court Information Rules, the same should be transferred to the Hon'ble High Court. It has been argued that the provisions of Rule 12 are mandatory and the officer could not have escaped these provisions. He has further argued that he moved applications for inquiry and such inquiry cannot be kept secret from the complainant himself. It has also been argued that the information which has been sought for cannot be obtained by way of applying certified copy under any of the provisions under the High Court Rules and General Rules (Civil) hence the provisions of right to information were available to the appellant.

The arguments of the learned appellant that the mention of order for deposit of fees, the number of note and the number of letters are wrongly mentioned in the impugned order, gathers weight from the records of the case but none of these questions goes to the root of the case. The fact remains that order to deposit the fees was passed and the appellant deposited Rs.500/- as cash within time. It is also not disputed that three applications were annexed with the application dated 7.2.08 but in the order, only two applications have been shown to have been annexed. This error also does not appear to have caused any prejudice to the appellant as the application has not been rejected on this score and under the circumstances, when the application for furnishing information has been refused, the wrong number of applications annexed with the application for information, no prejudice can be said to have been caused to the appellant.

The other arguments advanced regarding the applicability of Rule 12, Rule 17 and Rule 20 of the Right to Information Rules comes subsequent to the decision whether the application moved by the appellant was maintainable at all or was not liable to be rejected ab initio. In order to appreciate this maintainability of the applications, the provisions ouf Rule 3 and Rule 4 of

4

छाया प्रति प्रमाणित।
06/05/2008
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जिला अदालत
ललितपुर (उ० प्र०)

the Allahabad High court (Right to Information Rules) 2006, need be looked into which provide as follows :-

> '3. Every application shall be made for one particular item of information only.
>
> 4. Each application shall be accompanied by cash or draft or pay order of Rs. 500/- drawn in favour of the Registrar-General, High Court, Allahabad, or the District Judge of the concerned District Court as the case might be'.

It appears that while receiving the information, the learned officer did not appreciate the provisions of Rule 3 and Rule 4 in the correct prospective and wrongly entertained the application. In view of Rule 3, an application can be made for one particular item of information only. The information which has been sought on behalf of the appellant, consists of a compound question. It provides for the information regarding three different applications which were annexed with the application for information. Thus, the information was sought in respect of three applications by moving one application for information. In view of Rule 3 of Right to Information Rules, 2005, such application was bad and not maintainable. The provisions of Rule 3 uses the word 'shall' and thus makes the provisions as mandatory. The learned officer definitely erred in receiving the application and proceeding with that, finding it to be maintainable. Thus, the learned officer has committed illegality right at the very moment of receiving the application. The application moved by the appellant deserves to be rejected out-rightly in view of Rule 3.

The application moved by the appellant was also bad in view of the mandatory provisions of Rule 4 which makes it mandatory for the applicant to accompany cash or bank draft or pay order as defined under Rule 4 along with the application for information. It is not disputed that no cash, bank draft or pay order was annexed with this application, hence the application was bad in view of Rule 4 as well. It is true that Rule 13 provides for information on a prescribed fees but it refers to the fees prescribed in Rule 5 which provides that the applicant for seeking information will have to pay Rs. 15/- per page of information to be supplied to him. Thus, the entertainment of the application of the appellant by the learned officer was nothing but an illegality and irregularity. Application for furnishing of information to the appellant was wrongly entertained by the learned officer, in contravention to the Rule 3 and again Rule 4 of the Allahabad High Court (Right to Information Rules), 2006. The application was not maintainable at

छाया प्रति प्रमाणित।
06/05/2008
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जिला जजी

the very outset hence no information could have been furnished to the appellant.

The result of the above discussion is that the learned officer while entertaining the application for information and proceeding with it, has committed illegalities but the result of the conclusion arrived at by the learned officer that the information could not be furnished to the appellant was the only fate of the application moved by the appellant. Even this appellate authority is unable to grant any relief,where the appellant has not adhered to the mandatory provisions of Rule 3 and Rule 4 of AllahabadHigh Court (Right to Information Rules), 2006, finds it unable to grant any relief in favour of the appellant. However, the appellant may move fresh applications having complied with the provisions of Rule 3 and Rule 4 of Right to Information Rules, 2006. In any case, since no relief can be granted in favour of the appellant, the appeal is liable to be dismissed.

ORDER.

The appeal is hereby dismissed. Let the appellant be informed.

Singh 6/5/08

(VIRENDRA VIKRAM SINGH),
DISTRICT JUDGE,
LALITPUR.

DATED : 06.05.2008.

Judgment signed, dated and pronounced in open court today.

Singh 6/5/08

(VIRENDRA VIKRAM SINGH),
DISTRICT JUDGE,
LALITPUR.

DATED : 06.05.2008.

छायाप्रति प्रमाणित।
06/05/2008.

सेवा में,

श्री मान अपील अधिकारी /श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
जिला न्यायालय ललितपुर

नं. अपील .... सन् 2008

वीरेश कुमार चौबे एडवोकेट, सिविल लाइन, ललितपुर

—अपीलान्ट / आवेदक

बनाम

ए0 के0 गनेश, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी / अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय ललितपुर

—रेस्पोंडेन्ट, एवं नियम 17

अपील अन्तर्गत द्वारा – 19 सूचना का अधिकार अधि0 2005 एवं नियम 24 इलाहाबाद हाईकोर्ट (राइट टू इनफोर्मेशन) रूल्स 2006

श्रीमान जी,

सेवा में, सदभाव पूर्वक, सविनय निवेदन है कि माननीय केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला न्यायालय ललितपुर ने अपने आदेश दिनाँक 14/03/08 द्वारा प्रार्थी के सूचना आवेदन दिनाँक 07/02/08 को परोक्ष रूप से निरस्त करते हुये प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा मांगी गयी सुचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी अपीलान्ट श्रीमान जी की सेवा में यह प्रथम अपील प्रस्तुत कर रहा है।

आधार अपील

1. यहकि माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय का आदेश दिनाँक 14/03/08 मनमाना, ——विधि विरूद्ध एवं सूचना आवेदन के तथ्यों से असंगत है।

2. यह कि माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय ने सहायक केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय से सूचना आवेदन पर रिपोर्ट मांगकर एवं उस रिपोर्ट के आधार पर अपना आदेश पारित करके विधि विरूद्ध कार्य किया है।

3. यह कि नियम 12 इलाहाबाद हाइकोर्ट (राइट टू इनफोर्मेशन) रूल्स 2006 के प्राविधानों का अनुपालन भी माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय ने नही किया है क्योंकि उक्त नियम के अनुसार यदि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी अन्य पब्लिक अर्थोटी से सम्बन्धित है तो उन्हें इस आवेदन को उक्त पब्लिक अर्थोटी के पास ट्रांसफर कर भेज देना चाहिये, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

4. यह कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा भेजी गयी शिकायतें दिनाँक 12/09/06 एवं दिनाँक 28/08/05 के सन्दर्भ में भेजे गये निर्देश न्याय को पारदर्शी बनाने में, विधिसंवद्ध एवं व्यापक जनहित में होने के कारण किसी भी अवस्था में सूचना का अधिकार अधि0 2005 की द्वारा 8 के प्रावधानों के अनुसार सूचना प्रकटीकरण से संरक्षित नहीं है बल्कि उपरोक्त निर्देश, दोषपूर्ण कार्य प्रणाली से न्याय की गरिमा को पहुँच रही चोटों का इलाज करने वाले साबित हो सकते हैं।

5. यह कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना माननीय इलाहाबाद हाइकोर्ट (राइट टू इनफोर्मेशन) रूल्स 2006 के नियम 26 के विरूद्ध भी नही है क्योंकि अपीलान्ट प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के किसी भी लंबित वाद के बारे में कोई सूचना नहीं चाही है बल्कि कार्य प्रणाली के प्रति की गयी शिकायतों पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की सूचना चाही है।

6. यहकि दोषपूर्ण कार्यप्रणाली को रोकने के लिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गये निर्देशों की जानकारी व्यापक रूप से लोकहित में है। क्योंकि उन निर्देशो की जानकारी से ही आमजन को यह आशा बधेंगी कि माननीय उच्च न्यायालय, अधिकारियों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली को रोकने के लिये समुचित कदम उठा रहा है और दोष पूर्ण कार्य प्रणाली की जाँच खुले और पारदर्शी रूप में की जा रही है। एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो का अनुपालन हो रहा है या नहीं।

7. यह कि माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी का यह मत कि प्रार्थना पत्र दिनाँक 07/02/08 जिसके माध्यम से प्रश्नगत सूचना मांगी गयी थी नियम 20 इलाहाबाद हाइकोर्ट (राइट टू इनफोर्मेशन) रूल्स 2006 से बाधित है, विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

8. यहकि माननीय केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी महेादय ने अपने उक्त आदेश में यह खुलासा नकर कि उन्होने प्रार्थी का सूचना आवेदन निरस्त किया है या उनके पास लंबित है या उसे उन्होने कही और भेज दिया है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी आवेदक को मुगालते में रखने की कोशिश की गयी है माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय को स्पष्ट करना चाहिये था कि उन्होने प्रार्थी का आवेदन निरस्त किया है या उसे और कही भेज दिया है।माननीय

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी ने असद्भाव पूर्वक, जानबूझकर प्रार्थी को सूचना पाने से बंचित किया है। वांछित सूचना उपलब्ध न करायी जाने से न्याय का हनन हुआ है एवं अपीलार्थी के प्रति सीवियर इनजस्टिस हुई है।

9. यहकि उपरोक्त एवं अन्य कारणों से प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचनायें उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय को निर्देशित किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि,

1. यहकि प्रार्थी को वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी महोदय —— को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें ।

2. यहकि माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी ने असदभाव पूर्वक, जानबूझकर सूचना पाने से बंचित किया है जो सूचना देने में बाधा डालने का प्रमाण है ऐसी स्थिति में प्रत्येक दिन के लिये जब तक बांछित सूचना दी जाती है, ~~अपीलार्थी को उचित हर्जाना दिलाया जावे।~~ उचित क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित उपचार दिलाये जावें।

दिनाँक 05/04/2008

प्रार्थी

वीरेश कुमार चौबे, एडवोकेट
सिविल लाइन ललितपुर

सत्यापन : –

मैं वीरेश कुमार चौबे एडवोकेट, ललितपुर इस अपील आवेदन में दिये गये तथ्यों को अपने निजी ज्ञान से तसदीक करता हूँ कि सब सच व सही है।और यह सत्यापन आज दिनाँक 05/04/08 को स्थान ललितपुर में किया गया है।

ईश्वर मेरी मदद करें।

वीरेश कुमार चौबे, एडवोकेट

संलग्नक : –

1. माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय ललितपुर का आदेश दिनाँक 14/03/08 की प्रति स्वयं प्रमाणित।

2. सूचना आवेदन दिनाँक 07/02/08 की प्रति स्वयं प्रमाणित। एवं प्रार्थना पत्र दिनाँक 14–02–08 /15–02–08 की प्रति स्वयं प्रमाणित।

OFFICE OF THE CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER , DISTRICT COURTS, LALITPUR

ORDER

Perused the application, dated 07.02.2008 along with, filed on 07.02.2008 by the applicant Sri Veeresh Kumar Chaubey, Advocate, R/O Civil Lines, Lalitpur before Sri Harendra Prasad, the Central Assistant Information Officer, District Courts/ Chief Judicial Magistrate, Lalitpur. The application was forwarded to me vide order, dated 07.02.2008 passed therein, by the Central Assistant Public Information Officer, District Courts, Lalitpur.

A perusal of the above application, shows that in compliance of my order, dated 08-02-08 on the aforesaid application the applicant had deposited a sum of Rs. 500/- (Five hundred) only by enclosing a note number 4DT- 313017 of Rs. 500/-, as information fee, vide his supplementary application, dated 14/15.02.2008 filed on 15.02.2008 before me. Vide my order, dated 16.02.2008 I called the report from the Central Assistant Information Officer, District Courts/ Chief Judicial Magistrate, Lalitpur, on the original application, dated 07.02.2008. In compliance of my order dated 16.02.2008, Sri Harendra Prasad, the Central Assistant Information Officer, District Courts/ Chief Judicial Magistrate, Lalitpur, submitted his report dated 22.02.2008 to my office on 26.02.2008.

I have gone through the report dated 22.02.2008, submitted by the Central Assistant Information Officer, the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) and Allahabad High Court (Right to Information) Rules, 2006. I also examined the report-dated 22.02.2008 submitted by the Central Assistant Information Officer, in the light of the aforesaid Act and Rules.

In his report dated 22.02.2008, Central Assistant Information Officer has submitted that vide the original application dated 07.02.2008 the applicant has asked information about the two complaints sent by him to The Hon'ble Chief Justice, High Court of Judicature at Allahabad relating to the original suits pending in the civil court of this judgeship and the complainant, vide his application dated 07.02.2008, has asked for information about the directions given by the

-Bp-

Hon'ble High Court and Hon'ble the Administrative Judge on the aforesaid two complaints.

Further Sri. Harendra Prasad, in his above report has also submitted that the applicant has sought information about the complaints sent by him to the Hon'ble High Court and Hon'ble The Chief Justice, High Court of Judicature of Allahabad, which is barred by Rule 12 of the Allahabad High Court (Right to Information) Rules, 2006 and as the information's sought for, is regarding the proceedings made by the Hon'ble High Court and Hon'ble the Administrative Judge, and as such lower court is not competent to give such information. He has also submitted that the aforesaid directions are confidential and belong to Hon'ble High Court. Further, as per him, the Hon'ble High Court has its own authorized Central Public Information Officer. Further he has submitted that the information sought for, can not be furnished in view of Rule 26 of the Allahabad High Court (Right to Information) Rules, 2006, as it relate to the suits pending in the lower court. He has also submitted that the information is also barred under rule 20 of the Allahabad High Court (Right to Information) Rules, 2006. As the applicant has not clarified as to how the information sought for are related to public interest as such the information sought for is also barred by section 8 of the Right to Information Act, 2005.

On thorough examination of the aforesaid report dated 22.02.2008, submitted by Sri. Harendra Prasad and in the light of provisions contained in the aforesaid Act and Rules, I am of the view that the aforesaid report submitted by Sri. Harendra Prasad, the Central Assistant Information Officer, District Courts/ Chief Judicial Magistrate, Lalitpur is in conformity with the provisions laid down in the aforesaid Act and Rules. Thus I agree with his report as such. Applicant be informed accordingly.

14/03/08

Dated: 14.03.2008

(A.K.Ganesh)
Addl. Distt. & Sessions Judge/
Central Public Information Officer/
District Courts, Lalitpur.

Office of The Central Public Information Officer, District Courts, Lalitpur.

Photo copy of the order , forwarded to Sri. Veeresh Kumar Chaubey, Advocate , R/o. Civil Lines, Lalitpur for information and necessary action with reference to his referred application dated 07.02.2008

By Order

14-3-08

Personal Assistant
Central Assistant Public Information Officer/
Addl. District & Sessions Judge (D.A.A.)Act
District Courts, Lalitpur.

सेवा में,

माननीय सेन्ट्रल पब्लिक इन्फारमेशन आफीसर

जिला जज न्यायालय, ललितपुर

विषय- इलाहाबाद हाईकोर्ट (राइट टू इन्फारमेशन) रूल्स, 2006 के अर्न्तगत जनसूचना प्राप्त करने बावत

सम्माननीय श्रीमान,

प्रार्थी, सद्भावपूर्वक, निम्न निवेदन करता है।

यह कि प्रार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट (राइट टू इन्फारमेशन) रूल्स 2006 के अर्न्तगत निम्न लिखित जनसूचना प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी रु 500/- नगद जमा करने के लिए तैयार है एवं प्रतिलिपि हेतु भी शुल्क जमा कराने हेतु तैयार है।

"संलग्न प्रार्थना पत्रों दिनांक 12-09-2006 एवं दिनांक 28-08-05 के सन्दर्भ में आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय/माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों की सम्पूर्ण जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित देने की कृपा करें।"

Recd
07-02-08

प्रार्थी

वीरेश कुमार चौबे
[signature]

सिविल लाइन
ललितपुर

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

Received copy along with the enclosures (three).
[signature]
08/2/2008
SAO

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जिला जजी
ललितपुर (उ० प्र०)

करवा कर उस दुघटना/आत्महत्या या स्वाभाविक मृत्यु का रूप दे दिया जावेगा।

[signature]

कमशः................2 पर

सेवा में,

मान्नीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,

इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद(उ0प्र0)

विषय-**संलग्न, दो किता, शिकायती प्रार्थना पत्रों दिनांक 28.08.2005 पर कठोरतम कार्यवाही किये जाने एवं दौरान मुकदमा तथा जांच के दौरान प्रार्थी एवं उसके परिवार का लगातार हो रहे घोर उत्पीड़न को समाप्त कराया जाकर प्रार्थी के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं हितों की रक्षा कराये जाने बाबत।**

मान्नीय श्रीमान्,

प्रार्थी, सद्भावपूर्वक, आपकी सेवा में निम्नलिखित कथन उपरोक्त विषय के बाबत प्रस्तुत कर रहा है-

1. यह कि संलग्न दो किता, शिकायती प्रार्थना पत्रों दिनांक 28.05.2005 को प्रार्थी ने आपकी सेवा में प्रेषित किये थे जिनकी प्रतिलिपि मान्नीय प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय एवं मान्नीय जिला जज महोदय, ललितपुर को भी प्रेषित की थी।

2. यह कि एक वर्ष की अवधि के उपरान्त भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी एवं सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेशों की आपराधिक तरीके से, निरन्तर, जानबूझकर, हठधर्मी एवं धृष्टता पूर्वक अवहेलनाकर की जा रही अवमानना को संज्ञान में लाये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, और यदि की गयी है तो प्रार्थी को उसकी कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

3. यह कि सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना करने वाले व्यक्तियों एवं अवमानना करवाने वाले व्यक्तियों में अनेक ऐसे मान्नीय व्यक्ति सम्मलित है जिन पर कि सम्मानीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी एवं जबावदेही है।

4. यह कि प्रार्थी एवं उसके परिवार का दौरान मुकदमा एवं जांच के दौरान लगातार दिन प्रतिदिन घोर उत्पीड़न किया जा रहा है। यहां तक कि आने-जाने के रास्ते, नल, बिजली, टेलीफोन आदि की संयोजन लाइनें, सीवर लाइन में बाधा, अवरोध उत्पन्न कर जीवन एकदम नारकीय एवं असुरक्षित बना दिया गया है। प्रार्थी एवं उसके परिवार के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों, मूल अधिकारों एवं मानवाधिकारों का लगातार हनन उन माननीय व्यक्तियों द्वारा किया एवं कराया जा रहा है जिन पर कि इन समस्त अधिकारों की बहाली कराये जाने की जिम्मेवारी है।

5. यह कि इस बात की पूर्ण आशंका है कि प्रार्थी एवं उसके परिवार को षडयंत्रपूर्वक फर्जी मामलों में फँसवाकर जेल में डाल दिया जावेगा अथवा प्रार्थी एवं उसके परिवार की हत्या करवा कर उसे दुर्घटना/आत्महत्या या स्वाभाविक मृत्यु का रूप दे दिया जावेगा।

क्रमशः.....2 पर

6. यह कि शिकायतों की जांच के दौरान दोषी व्यक्तियों का प्रमोशन कर दिये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा की गयी शिकायतों को दबाये जाने के सफल प्रयास किये जा रहे है।

प्रार्थना

अत: मान्नीय श्रीमान् जी से विनय है कि संलग्न प्रार्थना पत्रों पर कठोरतम कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि सम्मानीय न्यायालय की अवमानना करने वाले व्यक्तियों एवं अवमानना करवाने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाकर अवमानना पूर्व की स्थिति बहाल हो सके एवं प्रार्थी एवं उसके परिवार का उत्पीड़न समाप्त कर उनके मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों, मूल अधिकारों, मानवाधिकारों को बहाल कराया जाये तथा प्रार्थी के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं हितों की रक्षा की जावे।

श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

दिनांक-
12.09.2006

प्रार्थी

वीरेश कुमार चौबे, एडवोकेट
सिविल लाइन, ललितपुर (उ0प्र0)

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु-

1. मान्नीय प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय, द्वारा रजिस्ट्रार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. मान्नीय अध्यक्ष/सचिव एवं सदस्यगण, बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मान्नीय जिला जज महोदय, ललितपुर।
4. मान्नीय अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोशियेशन, ललितपुर।

Recd. Copy.
12/9/06
P.A. to D.J.
12/9/06

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उ0प्र0।

विषय : अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, ललितपुर एवं अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन, ललितपुर में विचाराधीन मुकदमों एवं अवमानना कार्यवाहियों के प्रकरण के निस्तारण में कानूनी जांच कराकर आदेश पारित करने में लगभग 5 से 10 वर्षो तक के बिलम्ब के कारणों की प्रशासनिक विभागीय जांच कराने बावत्।

माननीय श्रीमान्,

प्रार्थी सद्भावपूर्वक आपकी सेवा में निम्नलिखित कथन उपरोक्त विषय के बावत् प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि प्रार्थी के निम्नलिखित मुकदमें अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् सिविल जज सीनियर डिवीजन, ललितपुर जिला ललितपुर के न्यायालय में निस्तारण हेतु विचाराधीन है।

(अ) मुकदमा नं0 37 सन् 87 डा0 शिवनारायण बनाम शोभाराम आदि।

(ब) मुकदमा नं0 208 सन् 97 गोविन्द नारायण बनाम शिवनारायण आदि।

(स) मुकदमा/इजराय सं0 15 सन् 93 राजीव बनाम दुर्गाप्रसाद आदि।

(द) मुकदमा नं0 251 सन् 97 कैलाश नारायण बनाम राकेश आदि।

इन मुकदमों में सीनियर सिटीजन भी पक्षकार है।

2. यह कि प्रार्थी के निम्नलिखित मुकदमें अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ललितपुर जिला ललितपुर में निस्तारण हेतु विचाराधीन है।

(क) मुकदमा नं0 39 सन् 95 शांति देवी बनाम स्टेट आदि।

इस मुकदमे में सीनियर सिटीजन भी पक्षकार है।

3. यह कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् सिविल जज सीनियर डिवीजन ललितपुर द्वारा पूर्व में पारित की गई निषेधाज्ञा आदेश के लगातार दिन प्रतिदिन निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, न्यायालय की अवमानना करने के बावत् निम्नलिखित

(क्रमशः .....)

अवमानना कार्यवाहियां वर्ष सन् 1995 से प्रस्तुत की हैं। उपरोक्त अवमानना की कार्यवाहियो में लगातार अधीनस्थ न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश की अवमानना होने की जानकारी देने पर भी विरुद्ध पक्षों के विरुद्ध अवमानना रोकने हेतु कोई भी कार्यवाही नही की गई, कोई भी जांच नही की गई, कोई भी आदेश पारित नही किया गया। वाद ग्रस्त सम्पत्ति पर विरुद्ध पक्षकारों द्वारा की जारी अवमानना के कार्यो के रोकने के बावत् पुलिस की सहायता भी नही ली गई है। निस्तारण में हो रहे बिलम्ब का लाभ उठा कर विरुद्ध पक्ष अवमानना करने के साक्ष्यों को नष्ट कराने में लगे हुये है यहां तक कि पत्रावलियों के पेज फट रहे है या फाड़े जा रहे है।

<u>अवमानना के प्रकरणों का विवरण :–</u>

(न्यायालय श्रीमान् सिविल जज सीनियर डिवीजन ललितपुर)

(च) विविध वाद सं0 29 सन् 95 शांति देवी बनाम शिवनारायण आदि।

(छ) विविध वाद सं0 53 सन् 96 वीरेश कुमार चौबे बनाम हरिहर नारायण आदि।

(ज) विविध वाद सं0 7 सन् 99 वीरेश कुमार चौबे बनाम शिवनारायण आदि।

उपरोक्त अवमानना कार्यवाहियों में राज्य सरकार के उच्च अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण भी विरुद्ध पक्ष स्थापित हैं।

4. यह कि उपरोक्त वर्णित मुकदमों एवं अवमानना की कार्यवाहियों में बिना कोई अन्तरिम राहत पहुँचाने वाला आदेश पारित किये, लम्बे–लम्बे समय की तारीख देकर तारीख पेशी बढ़ा दी जाती है।

5. यह कि वाद की विषय वस्तु वादग्रस्त सम्पत्ति, जिसके बारे में निषेधाज्ञा जारी है, न्यायालय के अत्यन्त समीप मात्र 1/2 किमी0 के अन्दर कचहरी रोड, (न्याय मार्ग) पर स्थित है। दिन प्रतिदिन समस्त न्यायाधीश, अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारीगण एवं पक्षकार किसी न किसी काम से वादग्रस्त सम्पत्ति के सामने से उसे देखते हुये गुजरते है और न्यायालय की निषेधाज्ञा का खुलेआम उल्लंघन करना एवं न्यायालय के आदेश की अवमानना होते देखकर आश्चर्य में पड़ जाते है।

<u>प्रार्थना</u>

अतः माननीय श्रीमान् जी से विनय है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के बारे में प्रार्थना पत्र में दिये गये विवरण के मुकदमों की पत्रावलियों एवं अवमानना की

(क्रमशः .....)

कार्यवाहियों में अधीनस्थ न्यायालय में निस्तारण में हो रहे बिलम्ब के कारणों की प्रशासनिक विभागीय जांच करवाकर समुचित निर्देश पारित करने की कृपा करे ताकि प्रार्थी एवं उसकी वृद्धा माँ अपने जीवनकाल में न्याय प्राप्त कर सके।

श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

दिनांक 28-8-05

प्रार्थी

वीरेश कुमार चौबे, एडवोकेट,
सिविल लाइन ललितपुर

संलग्नक :

1. सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निषेधाज्ञा आदेशों की छायाप्रति।

प्रतिलिपि :

1. माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय द्वारा रजिस्ट्रार इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद,उ0प्र0।
2. माननीय जिला जज महोदय, ललितपुर।

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उ0प्र0।

विषय : श्रीमान् नरेन्द्र बहादुर प्रसाद सिविल जज सीनियर डिवीजन, ललितपुर जिला ललितपुर की कार्य प्रणाली एवं आचरण की प्रशासनिक विभागीय जांच हेतु शिकायती पत्र।

माननीय श्रीमान्,

प्रार्थी सदभावपूर्वक आपकी सेवा में निम्नलिखित कथन उपरोक्त विषय के बावत् प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि प्रार्थी का एक प्रकरण इजराय कार्यवाही सं0 15/93 राजीव कुमार बनाम दुर्गाप्रसाद उपरोक्त न्यायालय श्रीमान् सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां विचाराधीन है। प्रार्थी डिक्री होल्डर है।

2. यह कि उपरोक्त प्रकरण में निर्णीत ऋणी प्रतिवादी पर अन्तर्गत आदेश 21 नियम 37 जारी किए गये सम्मन की तामीली दिनांक 03.02.1994 को पूर्व में ही हो चुकी है। उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति भी निस्तारित की जा चुकी है। उस पर वारन्ट भी जारी किया जा चुका था जिस कारण उसने डिक्री की धनराशि में अंश अदायगी की और उसके बाद उसने न्यायालय आना ही बंद कर दिया।

3. यह कि उपरोक्त इजराय कार्यवाही में तारीख पेशी दिनांक 09.07.2004 को पत्रावली की आर्डरशीट पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा यह आदेश पारित किया गया था – " पुकार की गयी। डी0एच0 अधिवक्ता ने प्रतिवादी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट का प्रा0प0 पेश किया। स्वीकृत अतः पत्रावली दिनांक 06.11.04 वास्ते अग्रिम आदेश पेश हो। गिरफ्तारी वारन्ट जारी हो।"

4. यह कि पत्रावली पर मौजूद आर्डरशीट दिनांक 30.04.05 के अनुसार माननीय न्यायालय ने यह आदेश पारित किया गया – " पुकार की गई। डिगरीदार के अधिवक्ता हाजिर आये, दिनांक 16.07.05 वास्ते एफ0ओ0 पेश हो पूर्व आदेशानुसार वारंट जारी हो।

उपरोक्त रीति से लिखी गयी आर्डरशीट एवं माननीय अधीनस्थ जज के हस्ताक्षर को काटकर बाद की तारीख 06.5.05 टाइप की गई जिसको पुनः काटा गया और डिक्री होल्डर प्रार्थी को पुनः आदेश 21 नियम 37 की पैरवी करने हेतु आदेशित किया गया। परिवर्तित की गई आर्डरशीट में पूर्व की आर्डरशीट को काटने का कोई कारण नही लिखा है।

प्रार्थना

माननीय श्रीमान् जी से विनय है कि उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन इजराय प्रकरण में पूर्व से लिखी गई आर्डरशीट को काटने एवं बाद की तारीख में बदली हुयी

(क्रमशः .....)

आर्डरशीट लिखने, तारीख एवं हस्ताक्षर काटने के कारणों की प्रशासनिक विभागीय जांच कराने की कृपा करे जिससे न्याय प्रशासन के क्रम में अवरोध कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब न किया जा सके और प्रार्थी डिक्री होल्डर अपने जीवनकाल में ही शीघ्र न्याय पा सके।

दिनांक :- 28-8-05

प्रार्थी

वीरेश कुमार चौबे, एडवोकेट,
सिविल लाइन ललितपुर
मुख्तार आम डिक्री होल्डर राजीव कुमार

संलग्नक :

1. अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् की सम्बन्धित आर्डरशीट दिनांक 30.04.2005 की छायाप्रति।

प्रतिलिपि :

1. माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय द्वारा रजिस्ट्रार इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद उ0प्र0।
2. माननीय जिला जज महोदय, ललितपुर।

सेवा में,
माननीय सेन्ट्रल पब्लिक इन्फारमेशन आफीसर
जिला जजी, ललितपुर

<u>विषय</u>- प्रार्थी द्वारा दिए गये प्रार्थनापत्र दिनांक 07/02/08 पर हुए आदेश दिनांक 14-02-08 के अनुपालन में पाँच सौ रुपया नगद जमा कराने हेतु।

आदरणीय श्रीमान,

प्रार्थी, सद्‌भावपूर्वक, निम्न निवेदन करता है,

यह कि प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांक 07-02-08 पर पारित आर्डर दिनांक 14-02-08 के अनुपालन में पाँच सौ रुपया नगद इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नोट क्रमांक 4DT 213017 के द्वारा कर रहा है। चूँकि कोई रसीद बुक द्वारा जमा करने की व्यवस्था नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। कृपया वांछित सूचना दिलायी जावे।

<u>संलग्न</u>
भारतीय रिजर्व बैंक
नोट नं. 4DT 213017 Rs 500/-
पाँच सौ रुपया मात्र

दिनांक 14-02-08
15/02/08

प्रार्थी
[illegible signature] 15/02/08
वी. के. कुमार जैन
एडवोकेट
सिविल लाइन
ललितपुर।

Received its original copy alongwith Rs.500/- (Five hundred) only cash vide note NO 4DT-213017, today on 15-02-2008, from the applicant.

[illegible signature]
15/02/2008

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जिला जजी
ललितपुर (उ० प्र०)